संख्या-01/2020/2947/71-2-2020-पी-52/2014

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडि कल रिसर्च
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सी0बी0एम0आर0/कन्स्ट्रक्शन/614/2015/1181 दिनांक 17-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014, दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा रू0 1172.30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अबतक रू0 1090.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश/दिनांक	निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	57/2015/1707/71-2-2015-पी-52/2014 दिनांक 23 जून, 2015	234.75
2.	07/2016/4824/71-2-15-पी-52/2014 दिनांक 19 जनवरी, 2016	102.00
3.	67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014 दिनांक 24 मई, 2016	450.00
4.	73/2016/2330/71-2-16-पी-52/2014 दिनांक 03 जून, 2016	50.00
5.	41/2017/745/71-2-17-पी-52/2014 दिनांक 31 मार्च, 2017	29.13
6.	10/2018/34/71-2-18-पी-52/2014 दिनांक 18 जनवरी, 2018	125.00
7.	48/2018/449/71-2-18-पी-52/2014 दिनांक 14 मार्च, 2018	50.00
8.	146/2018/3058/71-2-18-पी-52/2014 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018	50.00
	योग	**1090.88**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु रू0 22.80 (रूपये बाइस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, सी0बी0एम0आर0 एवं कार्यदायी संस्था की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

4) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8) प्रायोजना की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 24-05-2016 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रिसर्च, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2020/2947(1)/71-2-20-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टरेट, लखनऊ।
5. परियोजना प्रबन्ध/निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट-13, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in